राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2956/2015

विनोद कुमार शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमती मीरा तोलानी, कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय मुख्य अभियंता (मु.), जल संसाधन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, निदेशालय पेंशन एवं पेंशन वैलफेयर, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.12.2015

आदेश की दिनांक : 21.05.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि आदेश दिनांक 30.11.2015 के द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है, अपीलार्थी को भी उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जावें और उसकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2015 के पश्चात् जो पीपीओ, जीपीओ एवं सीपीओ

जारी किये गये हैं, उन्हें भी संशोधित किया जाकर शेष राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जावे एवं विभाग में दिनांक 22.12.2014 को प्रशासनिक अधिकारी का पद सृजित होने के कारण वर्ष 2014–15 की रिव्यू डीपीसी कर वर्ष 2014–15 में अपीलार्थी को भी पदोन्नत किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर दिनांक 04.05.1978 को हुई और दिनांक 16.06.1988 को वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई तथा वर्ष 2005–06 की रिक्तियों के विरूद्ध दिनांक 12.04.2006 को कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया और आदेश दिनांक 21.02.2013 के द्वारा वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई। अपीलार्थी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 31.07.2015 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। दिनांक 01.04.2015 को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों की वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 6 पर दर्शाया गया और उससे कनिष्ठ कार्मिकों को क्रम संख्या 7 से 16 तक दर्शाया गया। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 30.11.2015 के द्वारा रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु कार्यालय अधीक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी की गई और आदेश दिनांक 30.11.2015 में अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक श्रीमती शोभा गुप्ता, आनन्द प्रकाश गोयल, नवरत्न सिंह आदि को पदोन्नत किया गया, जो अपीलार्थी से कनिष्ठ थे। जबकि अपीलार्थी उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी था क्योंकि रिक्तियों को भरने के लिये दिनांक 01.04.2015 को कार्यरत सभी कर्मचारी पदोन्नति हेतु योग्य थे और अपीलार्थी दिनांक 01.04.2015 को राजकीय सेवा में पदस्थापित था। विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के पद दिनांक 22.12.2014 को सृजित कर दिये गये थे और वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक अधिकारी के पद पर डीपीसी की बैठक आहूत की जानी चाहिए थी और वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाना चाहिए था। अपीलार्थी ने अपनी पदोन्नति के संबंध में

विभाग के समक्ष दिनांक 07.12.2015 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि आदेश दिनांक 30.11.2015 के द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है, अपीलार्थी को भी उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जावें और उसकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2015 के पश्चात् जो पीपीओ, जीपीओ एवं सीपीओ जारी किये गये हैं, उन्हें भी संशोधित किया जाकर शेष राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जावे एवं विभाग में दिनांक 22.12.2014 को प्रशासनिक अधिकारी का पद सृजित होने के कारण वर्ष 2014–15 की रिव्यू डीपीसी कर वर्ष 2014–15 में अपीलार्थी को भी पदोन्नत किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रशासनिक अधिकारी का एक पद दिनांक 14.05.2015, दूसरा पद दिनांक 06.07.2015 तथा 4 अन्य पद दिनांक 05.08.2015 को सृजित किया गया था। अपीलार्थी के नाम पर डीपीसी द्वारा पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया। उसका नाम पात्रता सूची में सम्मिलित था। परंतु रिक्तियों की गणना के अनुसार तीसरे क्रम की वास्तविक रिक्ति दिनांक 05.08.2015 को आती थी। किंतु अपीलार्थी दिनांक 31.07.2015 को ही सेवानिवृत्त हो गया, जिसके कारण अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान नहीं की जा सकी। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुये यह बहस की है कि अपीलार्थी के दिनांक 31.07.2015 को सेवानिवृत्त होने से उसकी वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। अपीलार्थी दिनांक 01.04.2015 को सेवा में था और इसी आधार पर पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी था। अलग–अलग तिथियों में प्रशासनिक अधिकारी के पद सृजन किये गये हैं, परंतु राज्य सरकार के अर्द्धशासकीय टीप दिनांक 22.12.2014 में स्पष्ट उल्लेख है कि मंत्रालयिक संवर्ग की संशोधित कैडर

स्ट्रेन्थ दिनांक 22.12.2014 से प्रभावी होगी। इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी विभाग पदों की भिन्न–भिन्न सृजन की दिनांक मान रहा है, जो गलत है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी के उल जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुये यह बहस की है कि अपीलार्थी के नाम पर वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के तहत डीपीसी द्वारा पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया। रिक्तियों की गणना के अनुसार तीसरे क्रम की वास्तविक रिक्ति दिनांक 05.08.2015 को आती थी और अपीलार्थी दिनांक 31.07.2015 को ही सेवानिवृत्त हो गया, जिसके कारण पदोन्नति प्रदान नहीं की जा सकी। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर दिनांक 04.05.1978 को हुई और दिनांक 16.06.1988 को वरिष्ठ लिपिक के पद पर और दिनांक 12.04.2006 को कार्यालय सहायक के पद पर तथा आदेश दिनांक 21.02.2013 के द्वारा कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई। अपीलार्थी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 31.07.2015 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। दिनांक 01.04.2015 को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों की वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 6 पर दर्शाया गया। आदेश दिनांक 30.11.2015 के द्वारा रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु कार्यालय अधीक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी की गई और आदेश दिनांक 30.11.2015 में अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक श्रीमती शोभा गुप्ता, आनन्द प्रकाश गोयल, नवरत्न सिंह आदि को पदोन्नत किया गया, जो अपीलार्थी से कनिष्ठ थे। जबकि अपीलार्थी को उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध पदोन्नति से वंचित रखा गया। जहां तक अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी दिनांक 31.07.2015 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। चूंकि अपीलार्थी जुलाई, 2015 में सेवानिवृत्त हुआ है और प्रशासनिक अधिकारी के पद पर

पदोन्नति हेतु कार्यालय अधीक्षक की वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2015 की स्थिति में जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 6 पर अंकित किया गया और आदेश दिनांक 30.11.2015 के द्वारा 5 कार्मिकों को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध पदोन्नत किया गया है, जिसमें अपीलार्थी से कनिष्ठ श्रीमती शोभा गुप्ता, श्री आनन्द प्रकाश गोयल, श्री नवरत्न सिंह एवं श्रीमती मीरा तेलानी को पदोन्नत किया गया है। जबकि उक्त कार्मिक वरिष्ठता सूची दिनांक 29.04.2015 के अनुसार कनिष्ठ हैं और दिनांक 01.04.2015 के आधार पर अपीलार्थी राजकीय सेवा में कार्यरत था। इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त पद पर उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध उससे कनिष्ठ कार्मिकों के समान पदोन्नति लाभ आदि प्राप्त करने का हकदार है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक जून, 2015 में मंत्रालयिक संवर्ग के पदों के पुनर्गठन के स्वीकृति वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है :–

> *''मंत्रालयिक संवर्ग की संशोधित कैडर स्ट्रेन्थ बाबत् संबंधित वित्त (व्यय) विभागों द्वारा प्रशासनिक विभागों को आशा. टीप बनाम दिनांक 22.12.2014 से सूचित किया गया है। अतः मंत्रालयिक संवर्ग की संशोधित कैडर स्ट्रेन्थ दिनांक 22.12.2014 से प्रभावी होगी, बाबत् प्रशासनिक विभागों को सूचित करावें।''*

इसी प्रकार कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिंदु संख्या 7.5 के उप बिंदु 7.5.2 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है :–

> *''नवीन पद जो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के आयोजन से पूर्व सृजित होते हैं अथवा जो बजट में सम्मिलित किये गये हों या जिनके लिये उस तिथी को जबकि रिक्तियों का अवधारण किया जाये, वित्त विभाग द्वारा सहमति दे दी गई हो।''*

उपरोक्तानुसार वित्त विभाग द्वारा सहमति दी गई है और संशोधित कैडर स्ट्रेन्थ दिनांक 22.12.2014 से प्रभावी होने का उल्लेख भी किया गया है और इस प्रकार हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि रिक्तियों की गणना के अनुसार तीसरे क्रम में वास्तविक रिक्ति दिनांक 05.08.2015 को आती थी और अपीलार्थी दिनांक 31.07.2015 को सेवानिवृत्त हो जाने से पदोन्नति प्रदान नहीं की जा सकी। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी पदोन्नति आदेश दिनांक 31.11.2015 के द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के पद पर रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध पदोन्नति

प्रदान की गई है, जिसमें वास्तविक रिक्ति दिनांक का उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया गया है और जो कुल 5 कार्मिक उक्त पद पर पदोन्नत किये गये हैं, उनमें से एक कार्मिक को छोडकर सभी 4 कार्मिक अपीलार्थी से कनिष्ठ हैं, जिन्हें पदोन्नति का लाभ दिया गया है और अपीलार्थी को नहीं। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी भी रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का हकदार है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि जिस तिथी से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे तथा समस्त पारिणामिक पेंशन लाभ आदि संशोधित करते हुये नियमानुसार भुगतान किये जावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)